न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 214/2017 (2017/00262)

वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. शंकरलाल पुत्र रामपाल जाति रेगर निवासी ग्राम श्यामगढ तहसील नावां जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मुकेश पुत्र दूड़ाराम
2. संतोष देवी पुत्री दूड़ाराम
3. भंवरलाल पुत्र मोतीराम
4. मुनी देवी पत्नी श्योदान
5. छीतर पुत्र श्योदान
6. श्रवण पुत्र श्योदान
7. छोटी देवी पत्नी भगवानराम
8. सेठाराम पुत्र भगवानराम
9. शारदा पुत्र भगवानराम
10. भागचंद पुत्र दूड़ाराम
11. भैरूचंद पुत्र दूड़ाराम
    जाति समस्त नायक निवासियान ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
12. सायरी पत्नी सुजाराम जाति नायक
13. पूरणमल पुत्र सुजाराम जाति नायक
    13/1 बीरमाराम पुत्र सुजाराम जाति नायक
    13/2 मनाराम पुत्र सुजाराम जाति नायक
    13/3 नानूराम पुत्र सुजाराम जाति नायक
14. मालाराम पुत्र नाथूराम जाति खटीक निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
15. उप पंजीयक, कुचामनसिटी
16. राजस्थान सरकार जरीए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

वाद बाबत इस्तकरार हक व भू–विभाजन अ.धा. 88,53 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता **वादी की ओर से**

निर्णय

दिनॉकः– 19/04/2018

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 22.02.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक भू.अ./2018/833 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई, शामिल मिसल है। वकील वादी ने बहस सुनाई, बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्रत्रावली में तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा के अंतिम डिक्री आदेश फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.02.2018 एवं संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी कृषि भूमि खसरा नं0 870 रकबा 2.54 है0, खसरा नं0 871 रकबा 3.30 है0 कुल रकबा 5.84 है0 है। खसरा नं0 871 रकबा 3.30 है0 में से 0.5840 है0 उत्तरी मध्यम तरफ की भूमि का वादी शंकर लाल पुत्र रामपाल जाति रेगर ग्राम श्यामगढ तहसील नावां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/04/2018 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरत किया गया

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)